



उत्तराखण्ड सरकार

email:- palayanniwaranayog@gmail.com

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, कृषि भवन, श्रीनगर रोड़, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

संख्या 02 / ग्रा0वि0 एवं प0नि0आ0 / वाई0पी0 विज्ञापित / 2024-25 03 अप्रैल, 2025
विज्ञापित

यंग प्रोफेशनल्स की आवश्यकता

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड, पौड़ी में यंग प्रोफेशनल्स के 02 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

पद का नाम :- यंग प्रोफेशनल

पदों की संख्या :- 02 (नितान्त अस्थायी प्रकृति)

शैक्षिक योग्यता :- अभ्यर्थी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम स्नातक उपाधि (न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक) धारक हो।

परन्तु

राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम स्नातक उपाधि (न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक) धारक होगा।

वरीयता :- निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं को आधार मानकर एम0बी0ए0 (रूरल मैनेजमेंट/डैवलेपमेंट) / एम0एस0डब्ल्यू स्नातकोत्तर डिग्री धारक एवं ग्रामीण विकास के कार्यों सम्बन्धित कार्यक्षेत्र अनुभव धारक को वरीयता दी जायेगी।

आयु सीमा :- 22 से 30 वर्ष

मानदेय :- 35000 /- प्रतिमाह

कार्य स्थल :- पौड़ी, उत्तराखण्ड

युवा पेशेवर की अवधि :- 11 माह

आवेदन की अंतिम तिथि :- 19 अप्रैल, 2025 सांय 05:00 बजे।

साक्षात्कार हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन :- 25 अप्रैल, 2025


साक्षात्कार की तिथि/स्थल :- 29 अप्रैल, 2025/आयोग कार्यालय पौड़ी।

आवेदन की प्रक्रिया :- इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 19 अप्रैल, 2025 तक ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग उत्तराखण्ड पौड़ी में डाक/दस्ती के माध्यम से जमा करा सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भर कर आयोग के पते पर जमा करें।
2. युवा पेशेवर को हिन्दी, अंग्रेजी, कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान आवश्यक होगा।
3. आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।
4. किसी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. आवेदनों को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा।


पता :- सदस्य सचिव, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड पौड़ी, कृषि भवन, श्रीनगर रोड़, पौड़ी गढ़वाल पिन कोड 246001


(आर0एस0 रावत)
सदस्य सचिव,

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

**मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर योजना
आवेदन का प्रारूप**

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पत्राचार हेतु पता :.....
.....
4. स्थाई पता :.....
.....
5. ईमेल :.....
6. मोबाइल नम्बर :.....
7. जन्मतिथि :.....
8. शैक्षिक योग्यता—
9. युवा पेशेवर की अवधि



परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण का वर्ष	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

(सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।)

10. अनुभव : यदि कोई हो (अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-
11. आपने युवा पेशेवर का चयन क्यों किया है, (चयनित सैक्टर के सम्बन्ध में अधिकतम 100 शब्दों का उल्लेख पृथक पृष्ठ में संलग्न करें) :-
12. अतिरिक्त जानकारी :
 1. कम्प्यूटर ज्ञान :- हां नहीं
 2. भाषाओं का ज्ञान :- हिन्दी अंग्रेजी अन्य
 3. अन्य प्रासंगिक कौशल/सामाजिक कार्यअनुभव.....
 4. क्या आप पहले किसी सरकारी/गैरसरकारी संस्था में कार्यरत रहें हैं :- हां नहीं
यदि हां तो विवरण.....
13. आवेदक अपनी दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा विश्वविद्यालय/संस्थान का परिचय पत्र (अध्ययनरत् होने की स्थिति में) संलग्न करेगा।
14. आवेदक इस आशय का स्व: प्रमाणित घोषणा पत्र संलग्न करेगा कि उसके विरुद्ध सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है तथा उसके विरुद्ध कोई पुलिस केस नहीं है।

स्थान
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम